दां.प्रकी.(जमा.) 4361/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा,
जन अभियोजक श्री ओ.पी.राठी उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में मौके पर साहबराम व शिशपाल गिरफ्तार किए गए थे और उनके द्वारा ही खाले में पोस्ट चूरा जलाया गया। एक व्यक्ति का मौके से भगना बताया जो सहअभियुक्त के कहे अनुसार इस अभियुक्त का नाम लिया जा रहा है। जहां से माल की बरामदगी हुई वह अभियुक्त के मात्र कब्जे का स्थान नहीं है और खाला है और स्वयं घनश्याम, जो अभियुक्त का पिता है, के बयान से यह खाला साहबराम के कब्जे में होना बताया गया है। इस प्रकार अभियुक्त ओमप्रकाश को मौके पर किसी ने नहीं पहचाना, मात्रसहअभियुक्त के कहे अनुसार इसे अभियुक्त बनाया गया है, जो साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, उसे अपराध से जोड़ने वाली कोई वैध साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह लिखा है कि साक्षीगण रविन्द्र प्रताप, गोपाल सिंह, मनीराम, नथुराम, सत्यनारायण,

छोटूराम, करतारसिंह, मंगलसिंह, इमानत अली के बयानो से अभियुक्त को मौके पर से भागते हुए देखा बताया। मगर इनके बयानो के अवलोकन से यह नहीं पाया जाता कि वह अभियुक्त ओप्रमाश ही था। सहअभियुक्त के कथनानुसार इस अभियुक्त का नाम आया है। जिस स्थान से माल की बरामदगी हुई वह भी सहअभियुक्त साहबराम के कब्जे का होना साक्ष्य में आया है। मात्र ओमप्रकाश के कब्जे का वह स्थान नहीं है। इस स्टेज पर बिना गुणावगुण पर राय दिए, चूंकि अभियुक्त-प्रार्थी के विरूद्ध मात्र सहअभियुक्त के बयान के आधार पर इसे अभियुक्त बनाया गया है और इसके मात्र कब्जे से कोई भी माल की बरामदगी नहीं हुई, अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा